वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 19.09.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, ज्ञानशिखा टाइम्स,जनवार्ता," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 19.09.2025

वीडीए ने दो अवैध निर्माण कराए सील

वाराणसी। वीडीए ने बृहस्पतिवार को दो अवैध निर्माण को सील कराया। सारनाथ वार्ड के बनियापुर में जगदीश मास्टर की ओर से ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण कराया गया था। इसे नोटिस देकर सील किया गया। वार्ड सारनाथ के बेनीपुर परशुराम क्षेत्र के राजू गुप्ता ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य कराया। इसे नोटिस देकर सील कराया। जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश कुमार और अवर अभियंता विनोद कुमार की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं, वीडीए की ओर से बृहस्पतिवार को अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। नगवां के बेटावर में सुमन तिवारी, अजय मिश्रा, नागेंद्र की बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 10 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। भूखंड का क्षेत्रफल लगभग 700 वर्गफीट के प्रथम तल का स्लैब डालकर निर्माण कार्य किए जाने पर अनधिकृत निर्माण के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने अंजाम दिया। ब्यूरो

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 19.09.2025

अपर सचिव ने खामियां ठीक करने को कहा

निरीक्षण

ली प्रगति की जानकारी, देखी व्यवस्था, दिया निर्देश

वाराणसी। वीडीए अपर सचिव डां गुडाकेश शर्मा गुरूवार को प्राधिकरण की विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति की जानकारी हासिल की और खामिया देखा तथा व्यवस्था ठीक किए जाने का निर्देश दिया। अपर सचिव ने अवर अभियंता विजय सिंह के साथ परियोजनाओं के तहत होने वाले कार्यो की जानकारी ली। जिसके तहत शिवपुर स्थित पूर्वनिर्मित मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम के जीर्णोद्धार के तहत प्रस्तावित मल्टी परपज हॉल, वॉकिंग ट्रैक, चेंजिंग रूम और कवर्ड योगा तथा दर्शक पवेलियन, चिल्ड्रेन प्ले एरिया ओपेन जिम एरिया, हॉकी/फुटबाल फील्ड, वॉलीबाल कोर्ट आदि प्रस्तावित निर्माण की जानकारी की। उन्होंने स्थल पर कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की,वही मात्र 01 मिस्त्री एवं 02 लेबर से ही कार्य कराए जाने पर कांट्रैक्टर को कार्य की गति बढ़ाने और सभी सम्भव स्थलों पर समानान्तर रूप से कार्य कराने हेतु निर्देशित गया। अपर सचिव ने कांट्रैक्टर को 02 दिवस के भीतर संशोधित पर्ट चार्ट अभियन्त्रण अनुभाग एवं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने,वाराणसी में आधुनिक सुविधायुक्त नवीन जिला पुस्तकालय का निर्माण कराए जाने को कहा। अपर सचिव जलकल विभाग के निष्प्रोज्य ट्यूबवेल को हटाकर परिसर को टीन शेड से घेरने का कार्य 02 दिवस के भीतर पूर्ण करने और स्थल पर स्थित ट्रांसफार्मर को नियमानुसार प्राथमिकता पर स्थानान्तरित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता (वि./यॉ.) को निर्देश दिया।

जनवार्ता–दि0 19.09.2025

निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण

निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करते वीडीए के अपर सचिव।

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने अवर अभियंता विजय सिंह संग विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण गुरुवार को किया। जिसमें कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जहाँ शिवपुर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में मल्टी परपज हॉल, योगा पवेलियन, प्ले एरिया, ओपन जिम व खेल मैदानों का निर्माण प्रस्तावित है लेकिन कार्य की गति अत्यंत धीमी पाई गई। एक मिस्त्री और दो मजदूर कार्यरत थे और कांट्रैक्टर को गति बढ़ाने व समानांतर कार्य करने तथा 2 दिन में संशोधित पर्ट चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। जबकि आधुनिक जिला पुस्तकालय में मल्टी परपज हॉल, डिजिटल लाइब्रेरी, रीडिंग हॉल, किड्स जोन और हेरिटेज स्पेस का निर्माण प्रस्तावित है। इस स्थान पर कार्य संतोषजनक पाया गया 8 कांट्रैक्टर को 3 दिन में पर्ट चार्ट [illegible], परिसर को टीन शेड से घेरने व ट्यूबवेल हटाने के निर्देश मिले। वहीं ट्रांसफार्मर को प्राथमिकता पर स्थानांतरित करने को भी कहा गया।

जनवार्ता–दि0 19.09.2025

अवैध प्लाटिंग का ध्वस्तीकरण

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देश पर जोन-4, वार्ड नगवां में प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लाटिंग व निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई गुरुवार को की। जिसमें मौजा बेटावर (प्राथमिक स्कूल के पास) में सुमन तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी,अजय मिश्रा और नागेंद्र द्वारा लगभग 10 बीघा भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध प्लाटिंग की गई थी और साथ ही लगभग 700 वर्गफीट क्षेत्र में प्रथम तल का स्लैब डालकर निर्माण भी किया गया था। प्राधिकरण ने इस अवैध निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के अंतर्गत ध्वस्त कराया। इस दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता सोनू कुमार एवं प्रवर्तन टीम उपस्थित रही।